

744



**बैनामा मा: 10,00,000 / -रुपय।**

मै मुन्नीलाल पुत्र बोयताराम जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी सरदारशहर जिला चूरु 331403 (राजस्थान) की हूँ इस दस्तावेज विक्रय पत्र मे प्रथम पक्षकार भूमि अधिकारी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला कलक चूरु

एवम

मै श्री हरि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सरदारशहर जरिये मंत्री/सचिव पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री मांगीलालजी शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर 331403 जिला चूरु (राजस्थान) पेनकार्ड नं AAITS 5619K का हूँ। इस दस्तावेज मे द्वितीय पक्षकार भूमि केता हूँ:-

यह कि प्रथम पक्षकार के नाम से एक भूमि रोही मौजा हरियासर घड़सौतान खसरा न0:296 मे 4812.77 वर्गगज भूमि रूपान्तरण शुदा जरिये मिसल न0: 4 मरजूवा 27-12-2007 पट्टा दिनांक 6-04-2010 कार्यालय नगरपालिका मण्डल सरदारशहर के आधार पर स्थित है। जिसमे 4000 वर्गफुट पर ईट चुना से निर्माण किया हुवा है जिसके छत पर पटियाँ लगी हुई है। जो प्रथम पक्ष के कब्जा वा अधिकार स्वामित्व मे चली आ रही है। जो आज पहले समस्त प्रकार के ऋण भार वाद विवाद से मुक्त है। किसी अन्य व्यक्ति का हक हिस्सा सीर साझा नही है। ना ही किसी बैंक अथवा संस्था के पक्ष मे विक्रय बंधक हस्तान्तरण की हुई है। आज दिन प्रथम पक्ष ने अपनी जायज आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपनी उपरोक्त 4812.77 वर्गगज भूमि सम्पूर्ण को केता द्वितीय पक्ष श्री हरि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सरदारशहर जरिये मंत्री/सचिव पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री मांगीलालजी शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरु (राजस्थान) के पक्ष मे कुल 10,00,000/- अखरे दस लाख में विक्रय कर विक्रीत भूमि की सम्पूर्ण मुल्यॉकन राशि नकद प्राप्त कर विक्रीत जमीन पर कब्जा वा अधिकार केता को सौंप कर प्रथम पक्षकार ने अपना कब्जा हटा लिया है। अब आज बाद केता अपनी कय शुदा जमीन को अपने हर प्रकार से उपयोग उपभोग मे लाने अन्य को विक्रय, बंधक हस्तान्तरण करने, राजस्व रेकार्ड मे इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने के लिये कानुनी अधिकार होगा जिसमे प्रथम पक्षकार वा उनके किसी भी वारिश को कोई आपति नही होगी

*Sharma*

*श्री मांगीलाल*

*मिलान किया*

आपति करेगा तो अमान्य वा असत्य समझी जावेगी। अब आज बाद विकीत जमीन से प्रथम पक्षकार का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बकाया नहीं रहा है। विकीत जमीन हनुमानगढ सड़क मेघा हाईवे पर स्थित है। विकीत जमीन का कोई अंश अथवा भाग भविष्य में केता के कब्जा वा अधिकार से निकल जावे तो उस सूरत में केता को अधिकार होगा कि वोह निकले हुवे भू-भाग की किमत मय खर्चा हर्जा स्टाम्प आदि सहित मुझ विक्रेता से वसूल कर सकेगी। विकीत जमीन के समस्त स्वाभित्व सम्बन्धी दस्तावेज पट्टा मानचित्र वगैरा केता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है।

आसापासा विकीत भूमि

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	कुल क्षेत्रफल
ख0:न0: 296	ख0:न0: 296	सड़क वृक्षा रोपण	रास्ता 60 फुट	
200	200	167	167	3711 वर्गगज
148	148	67	67	1101.77 वर्गगज
			कुल	4812.77 वर्गगज

अतः यह बैनामा हमने अपनी-अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के लिख दिया के प्रमाण रहें समय पर काम आवे। दिनांक 11.04.2010

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

*शुनी माल*

साक्षी



हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

*Pharm...*

साक्षी



सत्य छाया प्रतिलिपि  
 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी  
 कार्यालय जिला कलेक्टर  
 बुरु

*मिलान*  
 2010

*मिलान*  
 2010